

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

Project Implementation Unit, Aligarh

31 एवं 32, ड्रीम सिटी कॉलोनी (बाल ज्वान घुट्टी के सामने), जी० टी० रोड, सारसोल, अलीगढ़-202 001 (उ० प्र०)

31 & 32, Dream City Colony, (Opp. Bal Jwan Ghutti), G. T. Road, Sarsol, Aligarh - 202 001 (U. P.)

Mob. : 9412730116

E-mail : aligarh@nhai.org

nhaipiubsr001@gmail.com

भा०रा०रा०प्रा०/प०क०इ०-अली०/15017/P-II/2017/डी०-9603

दिनांक: 18.01.2018

सेवा में

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा (उ०प्र०)।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 पर जनपद एटा के किमी० 186.000 से किमी० 229.000 तक मार्ग को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 65.495 है० वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक सं० 1389/14-1 दिनांक 15.01.2018।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों/आपत्तियों (क्रमांक 2, 3, 7, 8 व 9) को निस्तारित करने हेतु कहा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियों का निस्तारित विवरण निम्नवत् है:-

1. प्रस्तावित वनभूमि की गणना में विद्यमान ROW की चैनेजवार विवरण संशोधित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2. परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. के०एम०एस० फाइल (CD) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4. Linear Plan with all details की 05 प्रतियाँ संलग्न है।
5. ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(xvii) पावर ऑफ अटार्नी हस्ताक्षर कर अपलोड कर दी गयी है तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संशोधित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(पी०पी० सिंह),

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा।